न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 142 सन 2019
अनवान :–

1. रामेश्वर पुत्र नन्दराम जाति मेधवाल निवासी तलवाडा खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)

वादी

बनाम

1. राजस्थाान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक :– 14/08/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 389/399 के खसरा न0 714 की 6.7280हैक भूमि में वादी 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से रामप्रताप दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम रामेश्वर पुत्र नन्दराम है वादी को रामेश्वर व रामप्रताप दोनो नामा से पुकारा जाता था सहवन से राजस्व रिकार्ड में रामप्रताप दर्ज हो गया लेकिन अन्य सभी दस्तावेजात में वादी का नाम रामप्रताप पुत्र नन्दराम दर्ज है सही नाम रामेश्वर है तथा वादी का निवास स्थान डुमासर कर रखा है जबकि वादी तलवाडा खुर्द तहसील ऐलनाबाद का रहने वाला है वादी अपना नाम व निवास स्थान सही करवाने का अधिकारी है।

वादी ने अपने कथनों के समर्थन में मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैक पास बुक , पेन कार्ड , बच्चों की शिक्षा की मार्क शीट आदि सभी में वादी का नाम रामेश्वर पुत्र नन्दराम दर्ज है अर्थात सही नाम रामेश्वर पुत्र नन्दराम है

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से वादी का राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नही मिल पा रहा है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी अपना नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है

अत : वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 389/399 के खसरा न0 714 की कुल 6.7280हैक में वादी का 1/4 हिस्सा दर्ज है में वादी का नाम रामप्रताप के स्थान पर रामेश्वर एवं निवासी स्थान डूमासर के स्थान पर तलवाडा खुर्द तहसील ऐलनाबाद संशोधन करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिय सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर वादी का नाम राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाना उचित है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 389/399 के खसरा न0 714 की 6.7280हैक भूमि में वादी 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से रामप्रताप दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम रामेश्वर पुत्र नन्दराम है वादी को रामेश्वर व रामप्रताप दोनो नामा से पुकारा जाता था सहवन से राजस्व रिकार्ड में रामप्रताप दर्ज हो गया लेकिन अन्य सभी दस्तावेजात में वादी का नाम रामप्रताप पुत्र नन्दराम दर्ज है सही नाम रामेश्वर है तथा वादी का निवास स्थान डुमासर कर रखा है जबकि वादी तलवाडा खुर्द तहसील ऐलनाबाद का रहने वाला है वादी अपना नाम व निवास स्थान सही करवाने का अधिकारी है

वादी ने अपने कथनों के समर्थन में मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैक पास बुक , पेन कार्ड , बच्चों की शिक्षा की मार्क शीट आदि पेश की सभी में वादी का नाम रामेश्वर पुत्र नन्दराम निवासी तलवाडा खुर्द तहसील ऐलनाबाद दर्ज है

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से वादी का राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नही मिल पा रहा है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी अपना नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है

अत : वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 389/399 के खसरा न0 714 की कुल 6.7280हैक में वादी का 1/4 हिस्सा दर्ज है में वादी का नाम रामप्रताप के स्थान पर रामेश्वर एवं निवासी स्थान डूमासर के स्थान पर तलवाडा खुर्द तहसील ऐलनाबाद संशोधन करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 389/399 के खसरा न0 714 की 6.7280हैक भूमि में वादी 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें वादी का नाम रामप्रताप दर्ज है।

वादी का कथन है कि उसका सही नाम रामेश्वर पुत्र नन्दराम है वादी का रामप्रताप एवं रामेश्वर दोनो नामो से पुकारा जाता हे दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है सही नाम रामेश्वर पुत्र नन्दराम है यही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है सभी दस्तावेजात में यही नाम दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात वादी ने अपने कथनों के समर्थन में मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैक पास बुक , पेन कार्ड , बच्चों की शिक्षा की मार्क शीट आदि में वादी का नाम रामेश्वर पुत्र नन्दराम दर्ज है

सरंपच ग्राम पंचायत तलवाडा खुर्द तहसील ऐलनाबाद के प्रमाण पत्र के अनुसार भी वादी का सही नाम रामेश्वर पुत्र नन्दराम है एवं निवासी तलवाडा खुर्द तहसील ऐलनाबाद का है प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं संरपच ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र एवं पेरोकार राज ने किसी प्रकार का ऐतराज नही करने पर वादी का सही नाम रामेश्वर पुत्र नन्दराम होना प्रतीत होता है

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने से सयुक्त खातेदारों के हिस्सा में किसी प्रकार का परिर्वतन नही होता है वादी के नाम संशोधन से राज्यहकों को कोई नुकसान नही होता है बल्की राजस्व रिकार्ड ही आदिनांक होता है

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत /शपथ पत्र एवं सरपंच ग्राम पंचायत तलवाडा खुर्द के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 389/399 के खसरा न0 714 की कुल 6.7280हैक में वादी का 1/4 हिस्सा में दर्ज रामप्रताप पुत्र नन्दराम निवासी डुमासर के स्थान पर रामेश्वर उर्फ रामप्रताप पुत्र नन्दराम निवासी तलवाडा खुर्द तहसील ऐलनाबाद संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/08/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. रामेश्वर पुत्र नन्दराम जाति मेधवाल निवासी तलवाडा खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)

वादी

बनाम

1 राजस्थाान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 142 सन 2020 निर्णय दिनांक– 14/08/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 389/399 के खसरा न0 714 की कुल 6.7280हैक् में वादी का 1/4 हिस्सा में दर्ज रामप्रताप पुत्र नन्दराम निवासी डुमासर के स्थान पर रामेश्वर उर्फ रामप्रताप पुत्र नन्दराम निवासी तलवाडा खुर्द तहसील ऐलनाबाद संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/8/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर